



2026:AHC-LKO22657

उच्च न्यायालय, न्यायिक खंडपीठ इलाहाबाद, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 12787 वर्ष 2024

संजय यादव

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव (गृह सिविल), लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्ष

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता : रणधीर सिंह, मनीष सिंह चौहान, संदीप कुमार

(त्रिवेदी), शिओ प्रकाश सिंह

विरोधी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, हेमंत कुमार पाण्डेय,

ओसामा सैयद, रियाज अहमद

न्यायालय संख्या - 18माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पंवारअस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह दूसरी जमानत प्रार्थना पत्र है, जो अभियुक्त-आवेदक द्वारा वाद अपराध संख्या 0323/2015, धारा 147, 148, 149, 307, 302, 504, 506, 34 एवं धारा 120-बी भारतीय दंड संहिता, थाना सरोजिनी नगर, जनपद लखनऊ के अंतर्गत जमानत प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक की प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2024 के आदेश द्वारा, आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 9900/2022 में, इस स्वतंत्रता के साथ निरस्त कर दी गई थी कि घायल गवाह के परीक्षण के पश्चात नवीन जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि घायल गवाह, अर्थात् संदीप कुमार यादव (PW-2), का परीक्षण हो चुका है तथा उसका कथन अनुपूरक शपथ-पत्र के माध्यम से अभिलेख पर लाया जा चुका है।

यह भी निवेदन किया गया है कि वर्तमान प्रकरण में पाँच नामित अभियुक्त हैं, जिन सभी को सामान्य रूप से गोली चलाने की भूमिका सौंपी गई है। घायल गवाह ने वर्तमान आवेदक के विरुद्ध भी केवल सामान्य भूमिका ही आरोपित की है, जो अन्य सह-अभियुक्तों के समान है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र को नवीन आधारों पर जोर देते हुए प्रस्तुत किया है, अन्य बातों के साथ यह कि आवेदक दीर्घ अवधि से निरंतर कारावास में है।

यह निवेदन किया गया है कि आवेदक दिनांक 21.08.2015 से 15.12.2017 तक किशोर के रूप में अभिरक्षा में रहा। तत्पश्चात, उसकी किशोरता के दावे के निरस्त होने पर उसे दिनांक 21.03.2022 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया और तब से वह निरंतर कारागार में निरुद्ध है। इस प्रकार, समग्र रूप से आवेदक छह वर्ष छह माह से अधिक की कारावास अवधि व्यतीत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कर चुका है। इस संदर्भ में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के. ए. नज़ीब ए. आई. आर. 2021 सुप्रीम कोर्ट 712 के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि दीर्घकालीन कारावास तथा विचारण में विलंब, गंभीर अपराधों में भी जमानत प्रदान करने के वैध आधार हैं, क्योंकि शीघ्र विचारण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है।

यह भी निवेदन किया गया है कि सह-अभियुक्तगण, अर्थात् गप्पू यादव उर्फ बृजभान, जानेंद्र उर्फ जानी राजपूत तथा शेरा सिंह उर्फ शेर बहादुर सिंह को क्रमशः आपराधिक अपील संख्याएँ 1421/2018, 1406/2018 एवं 1299/2018 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2026, 12.12.2025 तथा 23.03.2026 के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है, जो वर्तमान आवेदक की प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र के निरस्तीकरण के पश्चात पारित हुए हैं; अतः आवेदक समानता के आधार पर जमानत का अधिकारी है।

यह भी निवेदन किया गया है कि अभियोजन पक्ष के कुल 30 गवाहों में से अब तक केवल 5 गवाहों का ही परीक्षण किया गया है तथा विचारण के निकट भविष्य में पूर्ण होने की संभावना नहीं है।

अंततः यह निवेदन किया गया है कि आवेदक ने अपने एक आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण जमानत प्रार्थना पत्र के पैरा 26 में प्रस्तुत किया है तथा संबंधित समय पर वह किशोर था।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध विद्वान विचारण न्यायालय की रिपोर्ट का भी परीक्षण किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष ने कुल 27 गवाहों का उल्लेख किया है। इनमें से 15 अभियोजन गवाहों का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। यह भी स्पष्ट है कि एक गवाह, अर्थात् अभियोजन साक्षी-15 कांस्टेबल धूम सिंह, का परीक्षण पूर्व में अभियोजन साक्षी-5 के रूप में किया जा चुका था। प्रतिवेदन से यह भी परिलक्षित होता है कि दो महत्वपूर्ण अभियोजन गवाहों, अर्थात् अभियोजन साक्षी-1 विनोद कुमार तथा अभियोजन साक्षी-2 संदीप कुमार यादव का जिरह पूर्ण नहीं हो सका है। इस विलंब का कारण स्वयं अभियोजन साक्षी-1 को आरोपित है, जिसने समन आदेश को चुनौती देते हुए तथा अग्रिम कार्यवाही पर स्थगन की प्रार्थना करते हुए इस न्यायालय के समक्ष धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या 49/2024 प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के लंबित रहने तथा उसी आधार पर बार-बार स्थगन लिए जाने के कारण, उक्त गवाहों का आगे का जिरह अधूरा रह गया है।

अतः, यद्यपि 15 गवाहों का परीक्षण आंशिक या पूर्ण रूप से किया जा चुका है, तथापि विचारण की प्रभावी प्रगति अभी भी अवरुद्ध बनी हुई है। प्रतिवेदन के अनुसार, अभियोजन साक्षी-15 (जिसका पूर्व में अभियोजन साक्षी-5 के रूप में परीक्षण किया जा चुका है) की पुनरावृत्ति को समायोजित करने के पश्चात भी लगभग 12 अभियोजन गवाहों का परीक्षण शेष है। यह स्पष्ट है कि विचारण के निकट भविष्य में पूर्ण होने की संभावना नहीं है, विशेषकर तब जबकि प्रमुख गवाहों का जिरह भी लंबित है, वह भी ऐसे कारणों से जो आवेदक के नियंत्रण से परे हैं।

संजय चंद्र बनाम सी.बी.आई., (2012) 1 एस.सी.सी 40 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्थापित सिद्धांत को पुनः दोहराया कि जमानत नियम है और कारावास अपवाद। न्यायालय ने अवलोकन किया कि विचारण-पूर्व निरुद्धता में दंडात्मक तत्व निहित होता है तथा जमानत से इंकार को दंड या नैतिक अस्वीकृति के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह भी प्रतिपादित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया गया कि जमानत से इंकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के समान है। पूर्ववर्ती निर्णयों, जिनमें गुडिकांति नरसिंहलु बनाम पब्लिक प्रॉसिक्यूटर तथा राजस्थान राज्य बनाम बलचंद सम्मिलित हैं, पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने यह बलपूर्वक कहा कि जमानत का मुख्य उद्देश्य विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, न कि दोषसिद्धि से पूर्व उसे दंडित करना।

शहीन वेलफेयर एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1996 एस.सी.सी. (Cri) 792) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, टाडा के अंतर्गत विचाराधीन बंदियों के संदर्भ में, यह प्रतिपादित किया कि जहाँ जमानत के संबंध में कठोर प्रावधान लागू होते हैं, वहाँ यह अत्यावश्यक है कि विचारण शीघ्रतापूर्वक संपन्न किया जाए। न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि जब विचारण उचित समयावधि के भीतर पूर्ण नहीं हो पाता, तब निरंतर निरुद्धता अनुचित हो जाती है तथा यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यह भी प्रतिपादित किया गया कि जब शीघ्र विचारण के अधिकार को प्रभावी रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, तब अभियुक्त के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु उसे जमानत पर रिहा करना आवश्यक हो जाता है। न्यायालय ने तदनुसार दिशानिर्देश भी निर्धारित किए, जिनमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया कि जो विचाराधीन बंदी पर्याप्त अवधि तक निरुद्ध रहा हो, जिसमें संभावित दंडावधि का एक महत्वपूर्ण भाग भी सम्मिलित हो, उसे सामान्यतः जमानत प्रदान किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, **जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक अपील संख्या 2787/2024)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस अभियुक्त को जमानत प्रदान की, जो चार वर्ष से अधिक अवधि से निरुद्ध था, जबकि विचारण प्रारंभ भी नहीं हुआ था। न्यायालय ने पुनः यह प्रतिपादित किया कि विचारण में अत्यधिक विलंब जमानत प्रदान करने का एक वैध आधार है तथा शीघ्र विचारण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित है, जैसा कि पूर्व में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य में प्रतिपादित किया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मो. मुस्लिम उर्फ हुसैन बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली), विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 915/2023** पर भी भरोसा किया और यह अवलोकन किया कि जमानत को नियंत्रित करने वाले कठोर वैधानिक प्रावधान अनिश्चितकालीन कारावास को उचित नहीं ठहरा सकते तथा विचारण में विलंब गंभीर अन्याय को जन्म देता है। अतः यह धारित किया गया कि दीर्घकालीन निरुद्धता तथा विचारण में विलंब, विशेष अधिनियमों जैसे यू.ए.पी.ए. के अंतर्गत भी, संवैधानिक आधार पर जमानत प्रदान करने को न्यायोचित ठहराते हैं।

इसी प्रकार, **सरवजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2025 एस.सी.सी ऑनलाइन आल 374** में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए उपर्युक्त सिद्धांतों को लागू किया। न्यायालय ने यह अभिलक्षित किया कि आवेदक मई 2017 से, अर्थात् सात वर्ष से अधिक अवधि से निरुद्ध था तथा विचारण में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई थी। दीर्घकालीन निरुद्धता तथा विचारण की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने यह धारित किया कि आवेदक का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार उल्लंघित हुआ है। इस संदर्भ में जावेद गुलाम नबी शेख (उपर्युक्त) के निर्णय पर भी भरोसा किया गया, विशेषकर इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि वहाँ अभियुक्त को जमानत प्रदान की गई थी, जबकि वह कई वर्षों से निरुद्ध था, आरोप निर्धारित नहीं हुए थे तथा अनेक अभियोजन गवाहों का परीक्षण अभी शेष था।

उपर्युक्त विधिक प्रतिपादनों तथा इस तथ्य पर सम्यक् विचार करने के उपरांत कि सह-अभियुक्तगण, जिन्हें समान भूमिका आरोपित की गई थी, पूर्व में ही जमानत पर रिहा किए जा चुके हैं; आवेदक छह वर्ष से अधिक अवधि से निरुद्ध है; विचारण में विलंब हुआ है, अन्य बातों

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के साथ, अभियोजन साक्षी-1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के कारण; महत्वपूर्ण अभियोजन गवाहों का परीक्षण हो चुका है; शेष साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती; तथा आवेदक द्वारा व्यतीत की गई निरुद्धता की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय इस विचार पर पहुँचता है कि पूर्व जमानत प्रार्थना पत्र के निरस्तीकरण के पश्चात परिस्थितियों में परिवर्तन उत्पन्न हुआ है। अतः आवेदक जमानत प्राप्त करने का उपयुक्त मामला स्थापित करने में सफल हुआ है।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।

उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या से संबंधित प्रकरण में आवेदक **संजय यादव** को निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समरूप धनराशि के निजी मुचलके तथा दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन—

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव नहीं डालेगा तथा उन्हें भयभीत/प्रभावित नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक प्रतिज्ञान-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। उसके अनुपस्थित रहने की दशा में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए (वर्तमान में धारा 269 बी.एन.एस.) के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(vi) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (वर्तमान में बी.एन.एस. की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और वह उक्त उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए (वर्तमान में धारा 209 बी.एन.एस.) के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

दिनांक : 31 मार्च, 2026

मधु जे.आर./पी.एस.

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पंवार)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।